रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 7, 2010/भाद्र 16, 1932
No. 225] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2010/BHADRA 16, 1932

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2010

सं. एल-1/(3)/2009-केंविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषय में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) (संशोधन) विनियम, 2010 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विनियम 2 का संशोधन.—मूल विनियम के विनियम 2 के उप-खंड (1) के खंड (ख)(i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) 'आवेदक' से,

(i) संयोजकता प्रदान करने की बाबत निम्नलिखित अभिप्रेत है :

(क) 250 मेगावाट और उससे ऊपर की क्षमता वाले उत्पादन केन्द्र जिसमें 250 मेगावाट और उससे ऊपर के निर्यातयोग्य कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी सम्मिलित हैं; या

(ख) 50 मेगावाट और 250 मेगावाट के बीच की संस्थापित क्षमता के ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने वाले हाइड्रो उत्पादन केन्द्र या उत्पादन केन्द्र ;

(ग) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने वाले ऐसे हाइड्रो उत्पादन केन्द्र या उत्पादन केन्द्र जिनकी व्यष्टिक रूप से संस्थापित क्षमता 50 मेगावाट से कम है, किन्तु सामूहिक रूप से संस्थापित क्षमता 50 मेगावाट तथा उससे ऊपर की है, और जो इन सभी उत्पादन केन्द्रों की ओर से कार्य करते हों तथा जो प्रमुख उत्पादक के रूप में सीटीयू के अधीन पूलिंग सब-स्टेशन पर एकल संयोजन स्थान पर सीटीयू से संयोजन चाहते हों; या

(घ) थोक उपभोक्ता ।"

3. धारा 8 का संशोधन.—(क) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

"(1) संयोजकता के लिए आवेदन में आवेदक का प्रस्तावित भौगोलिक स्थान, विनियम की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा जैसे ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् वह उत्पादन केन्द्र जिसमें कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र भी है, की दशा में, अंत:क्षेपित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा तथा अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ थोक उपभोक्ता की दशा में,

ली जाने वाली ऊर्जा की मात्रा तथा ऐसे अन्य ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जैसा केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा विस्तृत प्रक्रिया में अधिकथित किया जाए :

परंतु यह कि आवेदन फाइल करने के पश्चात्, आवेदक के अवस्थान में कोई सारवान् परिवर्तन होता है या विनियम 2(1)(ख)(i)(क) के अधीन परिभाषित आवेदक की दशा में 100 मेगावाट से अधिक और विनियम 2(1)(ख)(i)(ख) के अधीन परिभाषित आवेदक की दशा में संस्थापित क्षमता के 40 प्रतिशत तथा विनियम 2(1)(ख)(i)(ग) के अधीन परिभाषित आवेदक की दशा में संस्थापित क्षमता का 40 प्रतिशत अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ विनियम की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में परिवर्तन होता है तो ऐसा आवेदक नया आवेदन फाइल करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा :

परंतु यह और कि विनियम 2(1)(ख)(i) (ग) के अधीन परिभाषित आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर सीटीयू द्वारा केवल तब विचार किया जाएगा यदि ऐसे सभी उत्पादक कुल क्षमता एकल संयोजन स्थान पर संयोजित हों, उनके बीच इस आशय का एक लिखित करार किया गया हो कि प्रमुख उत्पादक भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा आयोग के अन्य सभी विनियमों जैसे ग्रिड सुरक्षा, अनुसूचीकरण तथा प्रेषण, पारेषण प्रभारों का संग्रहण तथा संदाय/समायोजन, यूआई प्रभार, संकुलन तथा अन्य प्रभार आदि के उपबंधों के अनुसरण में सभी प्रचालनात्मक तथा वाणिज्यिक उत्तरदायित्वों को करने के लिए उत्पादक की ओर से कार्य करेगा तथा सीटीयू को संयोजकता के आवेदन के साथ, उस संबंधित आरएलडीसी को प्रति देते हुए, जिसके नियंत्रण क्षेत्र में वह अवस्थित है, करार की एक प्रति सौंपेगा :

परंतु यह भी कि सीटीयू विस्तृत प्रक्रिया में ऐसे प्रमुख उत्पादक के साथ हस्ताक्षरित संयोजन करार में ऐसे उत्पादकों के बीच हुए औपचारिक करार की अपेक्षा को समुचित रूप से समामेलित करेगा ।

(ख) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (8) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

''परन्तु यह कि 500 मेगावाट और उससे ऊपर के थर्मल उत्पादन केन्द्र तथा 250 मेगावाट या उससे ऊपर की क्षमता के हाइड्रो उत्पादन केन्द्र तथा ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने वाले उत्पादन केन्द्र, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से भिन्न, से संयोजन स्थल पर समर्पित लाइन संनिर्मित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा ऐसे केन्द्रों को केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता तथा केन्द्रीय विद्युत प्रधिकरण द्वारा समन्वित पारेषण योजना के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा ।'

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/10-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग IV खंड 3, संख्या 140 में 10 अगस्त, 2009 को प्रकाशित किए गए थे ।